न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :- **मृदुला शेखावत**, आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :- 19/2021

प्रार्थीगण :-

1. शम्भुसिंह पुत्र सवाईसिंह जाति राजपूत
2. ढगलाराम पुत्र रामाराम
3. भाकरराम पुत्र थानाराम
4. भागूराम
5. भूण्डाराम पिसरान शेतानराम
6. भैराराम पुत्र भोपालराम
7. कनाराम पुत्र आसुराम
8. ढगलीदेवी पत्नी राणाराम
9. भूण्डाराम पुत्र शिवनाथराम
10. तुलछीदेवी पत्नी शिवनाथराम
11. बिडदाई पत्नी भूण्डाराम
12. भंवरीबाई पत्नी जयराम वादी सं. 2 से 12 तक सभी जातियान राईका निवासीगण जैतिवास तहसील बिलाडा जिला जोधपुर

बनाम

अप्रार्थीगण :-

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 131 व 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

उपस्थिति :- प्रार्थीगण - श्री अशोक कुमार पटेल एडवोकेट
अप्रार्थी संख्या 1-सरकारी पैरोकार

आदेश **दिनांकः-** 19/04/25

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ग्राम जेतिवास तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर राजस्थान के मूल निवासी है। ग्राम जैतिवास तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर की सरहद मे प्रार्थी संख्या 01 शम्भूसिंह की भूमि खसरा नम्बर 986/2 रकबा 0.5339 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय, प्रार्थी संख्या 02 दो ढगलाराम की कृषि भूमि खसरा नम्बर 986/3 रकबा 0.0405 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय, प्रार्थी संख्या 03 भाकरराम की कृषि भूमि खसरा नम्बर 986/4 रकबा 0.0162 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय, प्रार्थी संख्या 04 भागूराम व 05 भूण्डाराम की कृषि भूमि खसरा नम्बर 986/5 रकबा 0.0405 हैक्टेयर (प्रार्थी संख्या 04 व 05 की भूमि वर्तमान जमाबन्दी मे उनकी माता सुवटी पत्नि शैतानराम के नाम से खातेदारी दर्ज है मगर सुवटी का देहान्त हो चुका है तथा सुवटी के स्थान पर अभी तक फौतेदगी म्यूटेशन नही भरा गया है इसलिये सुवटी के उत्तराधिकारी वादी संख्या 04 व 05 ही है) प्रार्थी संख्या 06 भैराराम की कृषि भूमि खसरा नम्बर 986/6 रकबा 0.0162 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय, प्रार्थी संख्या 07 कानाराम की कृषि भूमि खसरा नम्बर 986/7 रकबा 0.0162 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय, प्रार्थी संख्या 08 ढगली देवी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 986/8 रकबा 0.0890 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय, प्रार्थी संख्या 09 भूण्डाराम की कृषि भूमि खसरा नम्बर 986/9 रकबा 0.0405 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय, प्रार्थी संख्या 10 तुलसी देवी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 986/10 रकबा 0.0405 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय, वादी संख्या 11 बिड़दाई की कृषि भूमि खसरा नम्बर 986/11 रकबा 0.0405 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय, प्रार्थी संख्या 12 भवरीबाई की कृषि भूमि खसरा नम्बर 986/13 रकबा 0.0647 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय भूमि

सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी बिलाड़ा

सभी की अलग अलग आई हुई है इसी अनुसार प्रार्थीगण मौके पर काबिज है। उक्त प्रार्थीगण की भूमि को आगे प्रार्थना-पत्र मे वादग्रस्त भूमि के नाम से संबोधित किया जायेगा । प्रार्थीगण का मौके पर पूर्ण रूप से कब्जा है तथा अपने अपने खसरो की भूमि के चारों तरफ सुरक्षा हेतु बाड़ व तारबन्दी की हुई है। प्रार्थीगण का कब्जा खरीद से निर्विवाद रूप से चला आ रहा है। वादग्रस्त भूमि का राजस्व कर्मचारीयो की भूल के कारण वादग्रस्त भूमि का मौके पर कब्जा अनुसार नक्शे में तरमीम नहीं की गई है तथा उक्त खसरा की गलत तरमीम कर दी गई है। जिसे मौके पर विवाद को समाप्त करने के लिये एवं शुद्धिकरण के लिये अप्रार्थी तहसीलदार बिलाड़ा को निवेदन किया मगर उन्होने कब्जा अनुसार दुरूस्ती करने से दिनांक 08.04.2021 को स्पष्ट इन्कार कर दिया है तो न्यायालय की शरण में आना पड़ा है। राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू रिकोर्ड नियमों के अनुसार पटवारी द्वारा कब्जे के अनुसार पैमाईसी कर पैन्सिली तरमीम की जाती है तथा राजस्व निरीक्षक द्वारा मौके की जांच कर लाल स्याही से पुख्ता की जाती है मगर नियमों की पालना नहीं की है तथा मन माने ढंग से गलत तरमीम कर दी है तथा प्रार्थीगण की जमीन जहां तरमीम की गई है वहां पर प्रार्थीगण की एक दूसरे की गलत तरमीम कर दी गई है जिससे मौके पर विवाद खड़ा कर दिया है। मौके एवं रिकोर्ड की स्थिति भिन्न भिन्न है। मौके एवं रेकार्डे की पूर्व मे की गई तरमीम को निरस्त कर नई मौके एवं कब्जे अनुसार तरमीम करने हेतु तहसीलदार, बिलाड़ा को आदेश फरमाया जावे । ताकि मौके एवं रिकोर्ड की एक रूपता हो सके तथा भविष्य मे कोई विवाद उत्पन्न नही हो । वादग्रस्त भूमि ग्राम जेतिवास तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर में स्थित होने एवं श्रीमान के क्षेत्राधिकार में स्थित होने से उक्त प्रार्थना-पत्र को सुनवाई का एक मात्र अधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है ।

अतः प्रार्थना-पेश कर निवेदन है कि ग्राम जैतिवास की सरहद में स्थित प्रार्थीगण की कृषि भूमि जिसमें प्रार्थी संख्या 01 एक शम्भूसिंह की भूमि खसरा नम्बर 986/2 रकबा 0.5339 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय, प्रार्थी संख्या 02 दो बगलाराम की कृषि भूमि खसरा नम्बर 986/3 रकबा 0.0405 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय, प्रार्थी संख्या 03 भाकरराम की कृषि भूमि खसरा नम्बर 986/4 रकबा 0.0162 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय, प्रार्थी संख्या 04 भाजूराम व 05 भूण्डाराम की कृषि भूमि खसरा नम्बर 986/5 रकबा 0.0405 हैक्टेयर (वादी संख्या 04 व 05 की भूमि वर्तमान जमाबन्दी में उनकी माता सुवटी पत्नि शैतानराम के नाम से खातेदारी दर्ज है मगर सुवटी का देहान्त हो चुका है तथा सुवटी के स्थान पर अभी तक फौतेदगी म्यूटेशन नहीं भरा गया है इसलिये सुवटी के उत्तराधिकारी वादी संख्या 04 व 05 ही है) प्रार्थी संख्या 06 भैराराम की कृषि भूमि खसरा नम्बर 986/6 रकबा 0.0162 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय, प्रार्थी संख्या 07 कानाराम की कृषि भूमि खसरा नम्बर 986/7 रकबा 0.0162 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय, प्रार्थी संख्या 08 ढगली देवी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 986/8 रकबा 0.0890 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय, प्रार्थी संख्या 09 भूण्डाराम की कृषि भूमि खसरा नम्बर 986/9 रकबा 0.0405 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय, प्रार्थी संख्या 10 तुलसी देवी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 986/10 रकबा 0.0405 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय, वादी संख्या 11 बिड़दाई की कृषि भूमि खसरा नम्बर 986/11 रकबा 0.0405 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय, प्रार्थी संख्या

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

12 भवरीबाई की कृषि भूमि खसरा नम्बर 986/13 रकबा 0.0647 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय भूमि की वर्तमान में की गई तरमीम को निरस्त कर नये सिरे से मौके व कब्जे अनुसार संलग्न नजरी नक्शा के अनुसार व कब्जे के अनुसार प्रार्थीगण की भूमि का राजस्व रेकर्ड नक्शे मे नये सिरे से सही व दुरस्त तरमीम करने के लिये अप्रार्थी को आदेश जारी किया जावे। तथा वर्तमान राजस्व नक्शे मे की गई तरमीम को निरस्त किया जावे।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये समन से तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम जैतीवास की वर्तमान स्थाई जमाबंदी/भू नक्शा अनुसार :- खसरा नंबर 1793/1787 रकबा 0.2908 हैक्टयर भूमि में उगमादेवी पत्नी बीजाराम 58/727 हिस्सा, पप्पूदेवी पत्नी माणकराम का 116/727 हिस्सा, शम्भूसिंह पुत्र सवाईसिंह 306031/47404 हिस्सा के नाम दर्ज है खसरा सं. 986/2 रकबा 0.5339 हैक्टयर भूमि वर्तमान में प्रार्थी सं. 1 के नाम दर्ज नहीं है। ग्राम जैतीवास के खसरा सं. 986/3 रकबा 0.0405 हैक्टयर भूमि प्रार्थी सं. 02 ढगलाराम पुत्र रामाराम के नाम दर्ज है। ग्प्रम जैतीवास के खसरा सं. 986/4 रकबा 0.0162 भूमि प्रार्थी सं. 3 भाकरराम पुत्र रामाराम के नाम दर्ज है। ग्राम जैतीवास के खसरा सं. 986/5 रकबा 0,0405 हैक्टयर भूमि प्रार्थी सं. 4 व 5 भाकरराम व भुण्डाराम के नाम दर्ज नहीं होकर सुवटी पत्नी शेतानराम के नाम दर्ज है, केवल प्रार्थी सं. 4 व 5 ही विधिक वारिश है प्रार्थीगण सिद्ध करें। ग्राम जैतीवास के खसरा सं. 986/6 रकबा 0.0162 हैक्टयर, प्रार्थी सं. 6 भेराराम ने बुधकी पत्नी मोहनलाल को बेचान कर दी है, जिसका नामान्तरकरण सं. 2889 दिनांक 23.08.2022 स्वीकृत हुआ, खरीददार वर्तमान में दर्ज है, जोध प्रार्थना पत्र में पक्षकार नहीं है। ग्राम जैतीवास के खसरा सं. 986/7 रकबा 0.890 हैक्टयर भूमि प्रार्थी सं. 7 कानाराम के नाम दर्ज है। ग्राम जैतीवास के खसरा सं. 986/8 रकबा 0.890 हैक्टयर भूमि अप्रार्थी सं. 8 ढगलीदेवी के स्थान पर नामान्तरकरण सं. 2831 दिनांक 06.01.2022 (न्यायालय आदेश) से मोरकी पत्नी राणाराम दर्ज हुआ जो वर्तमान में दर्ज है, जो प्रार्थना पत्र में पक्षकार दर्ज नही है। ग्प्रम जैतीवास के खसरा सं. 986/9 रकबा 0.0405 हैक्टयर भूमि प्रार्थी सं. 9 भूण्डाराम के नाम दर्ज है। ग्राम जैतीवास के खसरा सं. 986/10 रकबा 0.0405 हैक्टयर भूमि प्रार्थी सं. 10 तुलछीदेवी के नाम दर्ज है। ग्राम जैतीवास के खसरा सं. 986/11 रकबा 0.0405 हैक्टयर भूमि प्रार्थी सं. 11 बिडदाई के नाम दर्ज है। ग्राम जैतीवास के खसरा सं. 986/13 रकबा 0.0467 हैक्टयर भूमि प्रार्थी सं. 12 भंवराई के ना दर्ज है। वर्तमान में नक्शें में तरमीम डी.आई.एल.आर.एम.पी. के तहत की गई। जवाब के बिन्दु सं. 1 समस्त खातेदारान के पक्ष को सुनकर तरमीम शुद्धि के आदेश पारित किये जाते है, तो जवाब देहन्दा को कोई आपति नहीं है।

सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी बिलाडा

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात तथा अप्रार्थी सं. 1 द्वारा प्रस्तुत किया गया जवाब एवं मौका निरीक्षण रिपोर्ट पर मनन एवं अध्ययन किया गया। जिससे विदित होता है कि ग्राम जैतीवास तहसील बिलाडा के प्रार्थी संख्या 01 शम्भूसिंह की भूमि खसरा नम्बर 986/2 रकबा 0.5339 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय, प्रार्थी संख्या 02 ढगलाराम की कृषि भूमि खसरा नम्बर 986/3 रकबा 0.0405 हैक्टेयर, प्रार्थी संख्या

03 भाकरराम की कृषि भूमि खसरा नम्बर 986/4 रकबा 0.0162 हैक्टेयर, प्रार्थी संख्या 04 भागूराम व 05 भूण्डाराम की कृषि भूमि खसरा नम्बर 986/5 रकबा 0.0405 हैक्टेयर (वादी संख्या 04 व 05 की भूमि वर्तमान जमाबन्दी में उनकी माता सुवटी पत्नि शैतानराम के नाम से खातेदारी दर्ज है मगर सुवटी का देहान्त हो चुका है तथा सुवटी के स्थान पर अभी तक फौतेदगी म्यूटेशन नहीं भरा गया है इसलिये सुवटी के उत्तराधिकारी वादी संख्या 04 व 05 ही है) प्रार्थी संख्या 06 भैराराम की कृषि भूमि खसरा नम्बर 986/6 रकबा 0.0162 हैक्टेयर, प्रार्थी संख्या 07 कानाराम की कृषि भूमि खसरा नम्बर 986/7 रकबा 0.0162 हैक्टेयर, प्रार्थी संख्या 08 ढगली देवी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 986/8 रकबा 0.0890 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय, प्रार्थी संख्या 09 भूण्डाराम की कृषि भूमि खसरा नम्बर 986/9 रकबा 0.0405 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय, प्रार्थी संख्या 10 तुलसी देवी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 986/10 रकबा 0.0405 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय, वादी संख्या 11 बिड़दाई की कृषि भूमि खसरा नम्बर 986/11 रकबा 0.0405 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय, प्रार्थी संख्या 12 भवरीबाई की कृषि भूमि खसरा नम्बर 986/13 रकबा 0.0647 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय प्रार्थीगण की रेकर्डेड खातेदारी की भूमि है, हल्का पटवारी मालकोसनी द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट दिनांक 15.07.2025 के अनुसार मौके पर खातेदारान का कब्जा काश्त है। लेकिन डीआईएलआरएमपी के तहत ऑनलाईन तरमीम करते समय कब्जे के विपरीत तरमीम कर दी गई है। ऑनलाईन नक्शे में उक्त खसरान की गलत तरमीम को दुरूस्त किया जाना उचित है तथा हल्का पटवारी जैतिवास ने भी मौका निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 15.07.2025 के अनुसार उक्त खसरा के संबंध में ऑनलाईन भू-नक्शा व धरातल पर भिन्नता होना बताया एवं कब्जा अनुसार ऑनलाईन भू नक्शा में तरमीम दुरूस्ती किया जाना अपेक्षित बताया। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया जाता है कि वो ग्राम जैतिवास तहसील बिलाडा के वाद में वर्णित उपरोक्त खसरान की तरमीम फर्द मौका रिपोर्ट 15/07/2025 में वर्णितानुसार (अगर वादग्रस्त आराजी से कोई सरकारी भूमि खसरा लगा हुआ तो सरकारी खसरे के रकबे में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जायेगा) दुरूस्त कर शीघ्र से शीघ्र न्यायालय के समक्ष पेश करे। फर्द मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा दिनांक 15/07/2025 को इस निर्णय का भाग समझा जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 19/08/25 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,बिलाड़ा